संख्या-464/2026/2092/22-2-2024-17(255)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 07 मई,2026

विषयः- जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36860/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 19-11-2024, दिनांक 05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी रमेश पुत्र श्री जगत सिंह, पोटाकबूलपुर, थाना-बी0बी0 नगर, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 05/06.10.1986 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, हाकी, फरसा व तमंचा से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-529/1986 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०-03, गाजियाबाद के दण्डादेश दिनांक 01.04.1994 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.09.2006 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.02.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष, 00 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 11 माह, 06 दिन की सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला पुनः अपराध कारित किये जाने की संभावना होने, जमीनी विवाद में घटना होने के कारण पुनः अपराध करने की संभावना एवं जमीनी विवाद एवं पारिवारिक विवाद के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश (बन्दी संख्या-256/2005) पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-464/2026/2092(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बुलन्दशहर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।